

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1984/चैत्र 23, 1906
No. 47] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1984/CHAITRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

सार्वजनिक सूचना सं. 11-ईटीनी(पीएन)/84

विषय :—विभिन्न श्रेणियों के तंबाकू का निर्यात—वर्ष 1984, 1983 और 1982
के लिए तंबाकू की फसलों के विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम
निर्यात मूल्य निर्धारित करना ।

मि. सं. 20(1)/84-ई. 2 :—आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1984—मार्च, 1985
(जिल्द-2) के अनुबंध-4 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । जिसमें तम्बाकू की विभिन्न
श्रेणियों की फसलों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्यों को दर्शाया गया है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 1984, 1983 और 1982 के लिए अनुबंध-4 के 'क' से 'घ' तक के अनुबंध में दर्शाई गयी तम्बाकू की एम जी/डी बी, एम जी (सी), डी जी, पी एन/बीट्स, स्टैम्स और स्टैम्स-बीट्स, और स्टैम्सबीट्स की श्रेणियों के न्यूनतम निर्यात मूल्यों को हटा दिया जाए। तम्बाकू के इन श्रेणियों का निर्यात बिना किसी मूल्य प्रतिबंध के अनुज्ञेय होगा।

प्रकाश चन्द जैग,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Export Trade Control

New Delhi, the 12th April, 1984

PUBLIC NOTICE No. 11-ETC(PN)/84

Subject :—Export of different grades of Tobacco—Fixation of minimum export prices of various grades for the Crops of 1984, 1983 and 1982.

File No. 20(1)/84-EIL.—Attention is invited to Annexure IV of the Import and Export Policy April 1984—March 1985 (Vol. II) wherein the minimum export prices of various grades of Tobacco are mentioned for different crops.

2. On a review of the position, it has been decided to remove the minimum export prices of Tobacco in respect of 1984, 1983 and 1982 crops for the grades MG|DB, MG(C), DG, PL|bits, stems & stembits, and stembits, mentioned in Annexure 'A' to 'D' of Annexure IV. These grades of Tobacco will be allowed for export without any price restriction.

P. C. JAIN,
Chief Controller of Imports & Exports